मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गांरटी परिषद्, भोपाल

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)
द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011

क्रमांक/9705/MIS/NR-10/MGNREGA-MP/12 भोपाल, दिनांक 12/10/2012

प्रति,

1. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक,
   महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.,
   जिला पंचायत .... (समस्त)
   मध्यप्रदेश

विषय:– वित्तीय वर्ष 2011–12 की शेष डाटा एण्ट्री के संबंध में।

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 की डाटा एण्ट्री खोलने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। वित्तीय वर्ष 2011–12 की डाटा एण्ट्री हेतु शासन के विशेष अनुरोध पर 13 अक्टूबर 2012 से 30 अक्टूबर 2012 तक के लिये खोली जा रही है।

उक्त अविध में वित्तीय वर्ष 2011–12 की शेष डाटा एण्ट्री/डाटा अपडेशन/सुधार किया जा सकेगा। यदि जिला अतः जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत अथवा अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों के ओपनिंग बैलेंस अंतर्गत कार्यरत किसी भी एजेंसी की डाटा एण्ट्री शेष रह गई है अथवा अपडेशन किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 में ग्राम पंचायतों/अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा किये गये व्यय जो किन्ही कारणों से फीड होना शेष रहे गये हैं, उनकी शत–प्रतिशत एण्ट्री समय–सीमा में पूर्ण कराई जाये तथा यह सुनिश्चित कराया जाये कि जिला स्तर पर कार्यरत एजेंसियों के पास 01/04/2012 को उपलब्ध राशि (वित्तीय वर्ष 2012–13 का प्रारंभिक शेष) एम.आई.एस. में प्रतिवेदित होना चाहिये। यह तभी संभव होगा जब वित्तीय वर्ष 2011–12 में उपलब्ध राशि तथा व्यय की शत–प्रतिशत एण्ट्री समय सीमा में पूर्ण की जाये तथा एम.आई.एस. में लंबित भुगतान के मस्टररोल तथा बिल व्हाउचर्स पर भुगतान दिनांक अंकित की जाये।

अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार राज्य स्तर पर उक्त कार्य की मॉनिटरिंग संयुक्त आयुक्त (वित्त/लेखा) तथा सिस्टम एनालिस्ट एवं स्टेट नोडल अधिकारी संयुक्त रूप से करेंगे। उक्त अविध में कार्यवाही पूर्ण कराने की जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक की होगी। यदि किन्ही कारणों से शत–प्रतिशत व्यय की एण्ट्री नहीं हो पा रही हो तो, कारण सहित 20/10/2012 तक परिषद को अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाये।

12.X.12

(डॉ रवीन्द्र पस्तोर)
आयुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद,
भोपाल

पृ. क्रं/9706/MIS/NR-10/MGNREGA-MP/12 भोपाल, दिनांक 12/10/2012

प्रतिलिपिः–

- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, ग्रामीण विकास, कृषि भवन, नई दिल्ली की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- संभागायुक्त समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(आयुक्त)
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद,
भोपाल

D:\S...letter.doc